कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-2021 को पेश हो।

रीडर

5-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-1-2021 को पेश हो।

रीडर

13-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2021 को पेश हो।

रीडर

3-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी बहस को समय चाहते हैं, अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-2-2021 को पेश हो।

9-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-2-2021 को पेश हो।

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-2-2021 को पेश हो।

रीडर

23-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। अपील [illegible] खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil K Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:3
Reason: SelfAttested

/2004	तारीख रजू 10.6.2016	तारीख निर्णय 23.2.2021

मु0 धापा देवी पत्नी नानकचन्द, जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
मु0 प्रेम देवी पत्नी रामस्वरूप, ब्राह्मण नि0 गंगापुर सिटी——अपीलार्थीगण

बनाम

मु0 गुल्लोबाई पत्नी रामअवतार जाति ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
——प्रत्यार्थी

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 137
दिनांक 15.8.2004 ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी

उपस्थित :–श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रत्यार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 15.8.2004 ग्राम सलेमपुर इस आशय की पेश की है कि ग्राम पंचायत हिगोट्या का आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जिस वसीयतनामे के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश दिया गया है वह वसीयत ही फर्जी एवं विधिसम्मत न होने से कोई महत्व नहीं रखती। उक्त वसीयत को नल एण्ड बोइड व निष्प्रभावी घोषित करने का दावा सक्षम न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वसीयतकर्ता श्री महादेव प्रसाद के मात्र तीन पुत्रियां हैं जिनमें दो तो इस अपील में अपीलार्थी है तथा तीसरा प्रत्यार्थी है। श्री महादेव प्रसाद की पत्नी वर्तमान में जीवित है जबकि उक्त वसीयत में उन्हें मरा होना वर्ष 1987 से ही बता दिया है। वसीयत फर्जी एवं पोशीदा तरीके से प्रत्यर्थी व उसके द्वारा करवा दी गई जिसकी जानकारी अपीलार्थी को श्री महादेव प्रसाद की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण खुल जाने के बाद दिनांक 12.10.2004 को हुई। इससे पूर्व उक्त तथाकथित वसीयत व नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी। हाल खाता संख्या 65 की भूमि ख0नं0 390 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 391 रकबा 1.15 है0, ख0नं0 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर का साबिक ख0नं0 124 था तथा ख0नं0 124 से पहले [illegible] राजियात का ख0 नं0 205, 207, 208, 217, 226, 227 [illegible] महादेव प्रसाद के पिता श्री औंकार पुत्र बलदेव ब्राह्मण के नाम [illegible] हाल ख0नं0 398 रकबा 0.02 है0 का साबिक ख0नं0 123 था। ख0 [illegible] 123 से पहले इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सवा0)

... 227/4 था जिसकी खातेदारी महादेव प्रसाद के पिता
...ार पुत्र बलदेव के नाम से है। इस प्रकार ख0नं0 392 रकबा 1.06 है0
...तृक सम्पत्ती है। उक्त कृषि भूमि महादेव प्रसाद द्वारा स्वअर्जित नहीं थी
...क पूर्वजों की सम्पत्ती है। श्री महादेव प्रसाद से पूर्व उक्त आराजियात की
...तेदारी श्री महादेव प्रसाद के पिता श्री ऊंकार पुत्र बलदेव के नाम थी।
...क सम्पत्ती में श्री महादेव प्रसाद, उनकी पत्नी केसर देवी व उनकी तीनों
...त्रियों का हिस्सा है। इस तरह उक्त आराजियात में श्री महादेव प्रसाद का
.../5 हिस्सा ही था। उससे ज्यादा हिस्से की वसीयत करने का उनका
अधिकार ही नहीं था। ऐसी दशा में वसीयत स्वतः ही विधि विरूद्ध हो जाती
है और वह 4/5 हिस्से के लिए स्वतः ही निष्प्रभावी है। इसलिए वसीयत के
आधार पर खोला गया नामान्तरकरण स्वतः ही गैरकानूनी है एवं निरस्त होने
योग्य है। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री महादेव प्रसाद ने कोई वसीयत ही
नहीं की उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को खडा कर गवाहों से
मिलकर वसीयत फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड करवा ली गई जो पूर्ण रूप से
नल एण्ड वोईड है। यदि वास्तव में श्री महादेव प्रसाद ने वसीयत कराई होती
तो वे स्वयं को विधुर क्यों लिखते जबकि उनकी पत्नी श्रीमती केसर देवी अब
भी जीवित है। तथाकथित वसीयतनामा के दोनों ही गवाह प्रत्यर्थी मु0 गुल्लो
के पती श्री रामअवतार के खास मित्र हैं जिनसे मिलकर उक्त फर्जी वसीयत
की रजिस्ट्री तस्दीक कराई गई है। ग्राम पंचायत हिंगोट्या ने जो आलोच्य
नामान्तरकरण खोला है वह न तो मजमे आम में खोला गया है और न ही
अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण खोलने से पूर्व बुलाया गया न सुना गया।
नामान्तरकरण पोशीदा तरीके से खोला गया है। नामान्तरकरण में "जमाबंदी
में इन्द्राज किए जाने के लिए प्रस्तावित नई प्रविष्टि" के कालम में
अपीलार्थीगण का भी नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण
अपीलार्थीगण के नाम भी खोल दिया गया है इसे बिना विधिवत केन्सिल
किए अकेले प्रत्यार्थी के नाम फिर से नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर भी
नहीं खोला जा सकता । ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त होने
योग्य है। नामान्तरकरण आदेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी
पोशीदा तरीके से पारित कर दिया गया । उक्त ... रजिस्ट्री होने की
जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 12.10.2004 को ... समय हुई जब
अपीलार्थीगण ने प्रत्यथी व उसके पती श्री रामअवतार से उक्त भूमि के तीनो
बहिनो में विभाजन के बारे में चर्चा की तो श्री रामअवतार ने कहा कि
नामान्तरकरण को मु0 गुल्लो के नाम पूरी जमीन का हमने रजिस्टर्ड वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(सं०मा०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपील प्रस्तुत कर ... है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत हिंगोट्या द्वारा ... के पक्ष में खोले गए नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 15.8.2004 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने नकल नामान्तरकरण संख्या 137 दि0 ...8.2004 ग्राम सालारपुर, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, ...टोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकोपी नकल खतौनी ...दोवस्त सं0 2002, फोटोकोपी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोट्या ...नांक 16.11.2004 प्रस्तुत किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार ...गापुर सिटी से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से मूल नामान्तरकरण प्राप्त हुआ जो ...त्रावली में शामिल है।

प्रत्यार्थी की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

प्रत्यार्थी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका मुकदमा उनवानी ...ायादेवी वगैरा बनाम मु0 गुल्लोबाई, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश ...गापुर सिटी, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2017 मुकदमा उनवानी ...ायादेवी वगैरा बनाम मु0 गुल्लोबाई, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश ...गापुर सिटी प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यार्थी के पक्ष में जिस तथाकथित वसीयतनामे के आधार पर खोला गया है वह गलत है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण की पैत्रक भूमि रही है क्योंकि यह श्री महादेव प्रसाद की स्वअर्जित भूमि नहीं है बल्कि उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में महादेवप्रसाद को सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। महादेव प्रसाद द्वारा प्रत्यार्थी के हक में वसीयत के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण गलत है व निरस्त होने योग्य है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे।

प्रत्यार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रत्यार्थी के पक्ष में वसीयतनामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज हुआ है जो विधिवत रूप से दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक सरसरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(...)

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी (...)

न्याय दृष्टान्त 2018(2) आर0आर0टी0 राजस्थान कोर्ट बैंच जयपुर पृष्ठ 1084 उद्धत किया है। प्रत्यार्थी के विद्धान वकील ने अपनी बहस में आगे कहा कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यार्थी के पक्ष में हुई वसीयत को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहां वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 28.1.2017 को खारिज हो चुका है। रजिस्टर्ड दस्तावेज जब तक सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जावे तब तक वह वैध माना जावेगा। नामान्तरकरण की कार्यवाही में स्वत्व एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपने इस कथन के समर्थन में प्रत्यार्थी के विद्धान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2018(2) आर0आर0टी0 पृष्ठ 1552 उद्धत किया है। प्रत्यार्थी के विद्धान अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

रिबटल में अपीलार्थीगण के विद्धान वकील ने कहा कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दी गई एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.5.2017 में प्रत्यार्थी को वादग्रस्त भूमि अग्रिम आदेश तक एलीनिएट या ट्रान्सफर नहीं करने हेतु पाबंद किया हुआ है। चूंकि प्रत्यार्थी के पक्ष में हुई वसीयत विवादित है इसलिए इसके आधार पर प्रत्यार्थी के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण भी वैधानिक नहीं कहा जा सकता है इसलिए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर प्रत्यार्थी के पक्ष में खोला गया है। नामान्तरकरण खोलते समय तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया गया है क्योंकि एक पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर ही नामान्तरकरण खोला गया है। नामान्तरकरण एक फिसकल कार्यवाही है एवं इसमें किसी का स्वामित्व या अधिकार तय नहीं होता है बल्कि भूमि के लगान की दृष्टि से यह कार्यवाही होती है एवं जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से पंजीबद्ध दस्तावेज निरस्त नहीं होता है तब तक उसके आधार पर की गई नामान्तरकरण की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत मामले में स्वयं अपीलार्थीगण ने प्रत्यार्थी के पक्ष में हुए वसीयतनामे को निरस्त करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय अपर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

...धीश गंगापुर सिटी के यहां वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 28.1.2017 खारिज हो चुका है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय ...स्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका दायर करना बताया है एवं ...के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने का निवेदन किया ... यहां सक्षम सिविल न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा दायर वाद खारिज हो ...का है एवं प्रत्यार्थी के पक्ष में हुआ वसीयतनामा आज भी वैध है ऐसी स्थिति हमारी राय में प्रत्यार्थी के पक्ष में हुआ अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि सम्मत है जिसे निरस्त कराने का कोई कानूनी अधिकार उस समय तक अपीलार्थीगण को नहीं है जब तक कि वसीयतनामा सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं हो जावे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से सम्बद्ध भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने इसी न्यायालय में वाद भी दायर किया हुआ है एवं उसमें ही अपीलार्थीगण के अधिकार तय होने हैं इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त मूल नामान्तरकरण निर्णय की सत्यप्रति सहित वापिस लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2021 को सु...

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)